

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-50/2017-18

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो
बनाम्

M/S PREM WELDING PRODUCTS

—: आदेश :-

20.07.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत M/S PREM WELDING PRODUCTS प्रो० श्री रामधनी साव, पिता-श्री कामेश्वर साव एवं सह-ऋणकर्ता श्रीमति सरोज देवी पति श्री रामधनी साव रा०-गहतो कॉलोनी, तेलीडीह रोड, चास बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दायर किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (थाना सं०-34, थाना-चास जिला बोकारो के अंतर्गत खाता रा० 42 के प्लॉट रा० 733 रकबा-6.60 बी० एवं उस पर निर्मित मकान) को गिरवी रखते हुए 20,24,000.00 (बीस लाख चौबीस हजार) रुपये का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2015 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

विपक्षी के द्वारा दलील दिया गया कि उनके द्वारा जो ऋण लिया गया था वह घर के दूसरे कार्यों में खर्च हो गया। इसके अतिरिक्त उनका व्यापार भी ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति

खराब हो गई और वह ऋण की राशि नहीं वापस कर पा रहे हैं। उनके द्वारा ऋण की राशि को कम करने एवं भुगतान के लिए समय की माँग की गई।

दोनों पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई प्रयास नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी।

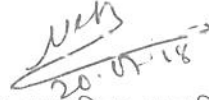
वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1 एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, चास बाजार ब्रांच, बोकारो द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापिता एवं संशोधित।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।



उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।